उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1388 / जबलपुर, दिनांक 4 / 05 06 / 2020

श्री गणेश बहादुर थापा, सहायक ग्रेड–1, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल, वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होकर जजेस गेस्ट हाउस भोपाल में सेवायें दे रहे है, की सेवायें उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना में सहायक ग्रेड–एक नया पदनाम सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद पर दिनांक 29.05.2020 से संविलियन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर सहायक ग्रेड–एक नया पदनाम सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट के काडर में उनकी वरिष्ठता सबसे नीचे रहेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

3/6/2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ.क्र. C/1388 / जबलपुर, दिनांक 4 / 05 06 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/भोपाल
4. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम.) प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
7. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक),स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्था./अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. श्री गणेश बहादुर थापा, सहायक ग्रेड–1, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल, वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होकर जजेस गेस्ट हाउस भोपाल में पदस्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक C/1390 / जबलपुर, दिनांक 4/05/06/2020

श्री अजेन्द्र सिंह राजपूत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

3/6/2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
For रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1391 / जबलपुर, दिनांक 4/05/06/2020

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम–पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रर(एम)...................(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री अजेन्द्र सिंह राजपूत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
For